2020/00391

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रूपाराम कुमार पुत्र श्री लीलाजी जाति कलबी निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये नायबतहसीदार पिण्डवाडा

मुकदमा नं. 89 वर्ष 2020

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.10.2020	प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र नायबतहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 265/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरूद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत् अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधी को कन्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.11.2020 को पेश हो । जिला कलक्टर, सिरोही	
06.11.2020	अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड़–19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 17:07:25 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner